UPAG010058192026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2481/2026

होतम सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी– सिंघावली थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर उम्र करीब 27 वर्ष

. ..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 200/2021
धारा –307 भा0दं0सं0
थानाः शमशाबाद, जिला आगरा।

दिनांक 11.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त होतम सिंह की ओर से मु0अ0सं0 200/2021 अन्तर्गत धारा– 307 भा0दं0सं0 थाना शमशाबाद, आगरा में, जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई परमाल सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के आशय से झूठा अभियोग दर्ज कराया गया है। कथित घटना में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त पीलिया रोग से बीमार हो गया था, इस कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभियुक्त प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था, दिनांक 19.05.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध वारण्ट जारी हो गये थे। अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर था। प्रकरण की कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के अनुपस्थित हो जाने के कारण, उसके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये। जिस पर दिनांक 13.05.2026 को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसके गंभीर रूप से बीमार होने के कारण, वह उपस्थित नहीं हो सका। वह विचारण के दौरान उपस्थित होता रहेगा तथा कार्यवाही में सहयोग करेगा। वर्तमान में अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की अनुपस्थिति के दौरान का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तदैव मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **होतम सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **होतम सिंह** द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये कि : :–

1– आवेदक/अभियुक्त किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा वाद में नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश
आगरा।
11.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.12 07:12:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court